फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय सांगानेर

प्रेमदेवी बनाम नाथूलाल

संख्या / वर्ष 31/23 : / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/1/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० सा० अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/1/24 को पेश हों।	
10/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/1/24 को पेश हो।	
12/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी०ओ० साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/3/24 को पेश हो।	
7/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य [illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 5/4/24 को पेश [illegible]	
5/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/[illegible] को पेश हों।	
24/4/24	पत्रावली पेश हुई [illegible] 111 व 128 [illegible] प्रार्थना [illegible] किया जाता [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible]	

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 31/2019
निर्णय दिनांक : 24.04.2024

1. प्रेम देवी धर्मपत्नी श्री जगदीश प्रसाद जाति वागडा ब्राहम्ण
2. मीनाक्षी देवी धर्मपत्नी श्री सुरेश चंद जाति वगदा ब्राह्मण
3. कौशल्या देवी धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद जाति वगदा ब्राह्मण
4. लाली देवी धर्मपत्नी श्री भागचन्द जाति वागडा ब्राहम्ण निवासी ढाणी वडा खेत ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

वनाम

1. नाथूलाल पुत्र श्रीनिवास जाति नंदवाणा वोहरा निवासी ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2277 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2279 रकबा 0.15 हैक्टयर वाके ग्राम मुहाना पटवार हल्का मुहाना भू. अभि. नि. क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि का सीमाज्ञान हेतु दिनांक 18–06–2019 को श्रीमान् तहसीलदार जी तहसील सांगानेर के पर प्रार्थीगण ने आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अप्रार्थी संख्या । प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडोसी काश्तकार है तथा अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन उक्त कृषि भूमि की उत्तरी सीमा पर विवाद करते है, प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि की सीमा पर नाजायज रूप से सीमा विवाद उत्पन्न मौके पर अशांति फैलाते है, इस कारण प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी किया जाना कानूनन आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 2277 व 2279 पर सीमाज्ञान एंव पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि वह अपनी आराजीयात के चारों तरफ तारवन्दी/पुख्ता वाउण्डरी आदि कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य में सीमाज्ञान व पत्थरगढी के लिए पडोसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो, मौके पर शांति कायम हो सकें, इसलिए उक्त भूमि का सीमाज्ञान एंव पत्थरगढी किया जाना न्यायाहित में आवश्यक एंव उचित है। उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने व निस्तारण करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2277 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2279 रकबा 0.15 हैक्टयर वाके ग्राम मुहाना पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या दो को फरमाने जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीप्रकाश तिवाडी ने पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी वहस सुनी गई। दिनांक 26.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज किया गया।

पत्रावली में उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता की वहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की वाके ग्राम मुहाना पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2277 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2279 रकबा 0.15 हैक्टयर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या दो को फरमाने जाने की कृपा करें।

वहस उपस्थित उभयपक्षकारान अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण से सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र लेकर वाके ग्राम मुहाना पटवार हल्का मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2277 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2279 रकबा 0.15 हैक्टयर का अप्रार्थी संख्या 1 को सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में प्रार्थीगण की उक्त भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:18 IST
Reason: SelfAttested